न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या : 35/2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर		सोहनलाल पुत्र घमण्डाराम जाति घांची निवासी हाईकोर्ट कॉलोनी, जोधपुर फर्म रामदेव डोसा कॉर्नर, भास्कर चौराहा रातानाडा जोधपुर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थितिः –
1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार श्री पुष्पराज पालीवाल प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विक्रमसिंह चाडवास उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 12.08.2025

प्रार्थी राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के अन्तर्गत अप्रार्थी सोहनलाल पुत्र घमण्डाराम फर्म रामदेव डोसा कॉर्नर, भास्कर चौराहा, रातानाडा जोधपुर के विरूद्ध यह प्रकरण जब्तसुदा 02 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 23.10.2024 को जिला प्रवर्तन अधिकारी मय निरीक्षक टीम कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर द्वारा जोधपुर की आकस्मिक जांच करने पर उपस्थित व्यक्ति ने अपना नाम रविन्द्र भाटी पुत्र सोहनलाल बताया एवं प्रतिष्ठान मालिक सोहनलाल होना बताया। प्रतिष्ठान पर मौके पर 02 घरेलु गैस सिलेण्डर (01 भारतगैस, 01 इण्डेन) भण्डारित कर प्रतिष्ठान पर खाना बनाने संबधी व्यवसायिक गतिविधियों हेतु उपयोग किया जाना पाया गया।

मौके पर अवैध भण्डारित कर व्यवसायिक उपयोग करते पाए गये 02 घरेलु गैस सिलेण्डरों का विवरण इस प्रकार हैः–

क्र. स.	गैस कम्पनी का नाम	एस.आर.नम्बर	सिलेण्डर का वजन	कुल वजन	गैस का वजन (किलो में)
1.	आई.ओ.सी.एल	118627c	14.2 कि.ग्रा.	21.2 कि.ग्रा.	07.0 कि.ग्रा.
2.	बी.पी.सी.एल	H0314430	17.3 कि.ग्रा.	27.3 कि.ग्रा.	10.0 कि.ग्रा.

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

उक्त 02 घरेलु गैस सिलेण्डरों को जब्त सरकार किया जाकर श्री दीपेन्द्र गुप्ता पुत्र श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता मैनेजर नाकोडा इन्डेन गैस, कृष्ण मंदिर के पास जोधपुर को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त 02 घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी द्वारा धारा 6(ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्त उक्त 02 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण में प्रार्थी विभागीय पेरोकार की बहस सुनी गयी। प्रार्थी विभागीय पेरोकार पुष्पराज पालीवाल प्रवर्तन अधिकारी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रतिष्ठान पर वक्त जांच कुल 02 घरेलु गैस सिलेण्डरों को अवैध रूप से भण्डारित कर खाना बनाने हेतु व्यवसायिक उपयोग में लिया जाना पाया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा 02 घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व व्यावसायिक उपयोग में लिये जाने से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है जिसके कारण जब्त उक्त 02 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी को प्रकरण में इस कार्यालय से नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रमसिंह चाडवास द्वारा वकालतनामा दिनांक 12.06.2025 को पेश किया गया। दिनांक 12.08.2025 को अप्रार्थी स्वंय उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिष्ठान पर पाये गये सिलेण्डर प्रतिष्ठान मालिक के परिचित द्वारा कुछ देर के लिए रखा जाना बताया गया एंव उक्त समय पर ही जिला रसद अधिकारी द्वारा निरीक्षण करते हुए सिलेण्डर जब्त किए गए। अप्रार्थी द्वारा प्रतिष्ठान पर जब्तसूदा सिलेण्डरों का उपयोग नहीं किया जाना बताते हुए उक्त प्रकरण निस्तारित करने का निवेदन किया गया।

"निष्कर्ष"

हमने विभागीय पैरोकार तथा अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस पर मनन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एंव मौका फर्द व अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। जिस अनुसार वक्त जांच प्रतिष्ठान पर 02 घरेलु गैस सिलेण्डर (01 भारतगैस, 01 इण्डेन) के अवैध रूप से भण्डारित किए पाए गए। मौका फर्द अनुसार जब्तसुदा सिलेण्डरों में गैस की मात्रा निर्धारित माप से कम पायी गई जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त घरेलु गैस सिलेण्डरों का प्रतिष्ठान पर खाना इत्यादि बनाने हेतु व्यवसायिक उपयोग किया गया है तथा संलग्न मौका फर्द में प्रतिष्ठान पर उपस्थित व्यक्ति के हस्ताक्षर पाये गये जिसमें वक्त जांच प्रतिष्ठान पर 02 घरेलु सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग किया जाना स्पष्टतया अंकित है। उक्तानुसार अप्रार्थी द्वारा प्रतिष्ठान पर घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

कार्यों में उपयोग किया जाना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तसुदा 02 घरेलु गैस सिलेण्डर (01 भारतगैस, 01 इण्डेन) को राज्यसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि जब्तसुदा 02 घरेलु गैस सिलेण्डर (01 भारतगैस, 01 इण्डेन) को राज्यसात कर नियमानुसार निस्तारण किया जाकर राशि राज्य कोष में जमा कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित R.A.S)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज.)